तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इशारा [illegible]
10/11/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ... मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 19/11/25 को पेश हो।
19/11/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ... मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 9/12/25 को पेश हो।
9/12/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ... मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/1/26 को पेश हो।
20/1/26	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ... मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/2/26 को पेश हो।
20/2/26	पत्रा. पेश। वकील पक्ष. उप. [illegible] बहस सुनी गयी बाबत आदेश 5/3/26 को पेश हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
5/3/26	पत्रा. पेश। वादी ने वर्तमान खसरा न. 1548 रकबा 0.48 है. भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है इनका कहना है कि पुराना खसरा न. 1233 जिसका वर्तमान खसरा 1548 है

(मद न. 3)

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसमें प्रार्थी के दादा ससुर मदनलाल का कब्जा था व पीढ़ी ने यही जमीन इनको विक्रय की थी वादी का कथन है कि खसरा नं. 1548 रकबा 0.48 है. भूमि के खातेदार वह स्वयं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया- 1) जमाबंदी अनुसार खसरा 1520 रकबा 0.64 वादी के नाम दर्ज है। 2) जमाबंदी अनुसार खसरा 1548 रकबा 0.48 प्रतिवादी के नाम दर्ज है। 3) पंजीयन दिनांक 03.05.2016 अनुसार मदनलाल ने खसरा नं. 1520 रकबा 0.64 कृषिभूमि वादी को बेचान की थी 4) पंजीयन दिनांक 24.6.1986 को अनुसार पीढ़ी ने खसरा नं. 1233 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा मदनलाल को बेचान की थी 5) मिलान नक्शा अनुसार गत खसरा 1233 रकबा 3''')8 का नया खसरा नं. 1520 रकबा 0.64 hect. बना है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म ... में जा...
	गत खसरा 1248 से नया खसरा 1548 बना है।	
	अत: दोनो पंजीयन में लिखित खसरे का मिलान हो रहा है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है।	
	वादी खसरा न. 1520 रकबा 0.64 hectare की खातेदार है।	
	परन्तु खसरा न. 1548 में वादी का कोई भी अधिकार प्रमाणित नहीं होता है।	
	अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 5/3/26 को सुनाया गया।	
	फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	Che 5/3/26 उपखण्ड अधिकारी गंगानगर [illegible]	